मध्यप्रदेश विधान सभा

417

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 28, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, मछली पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म. प्र.) का बत्तीसवां (दिनांक 1-7-95 से दिनांक 30-6-96) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, एवं

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का दिनांक 30 जून, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले में उद्योगपतियों द्वारा बीड़ी श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले में सिन्थेटिक खोवा की बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन जिले में कामलिया नामक कीड़े से फसलों को हो रही क्षति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) महन्त स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, बुरहानपुर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव.

श्री मदनगोपाल सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दुग्ध महासंघ के माध्यम से अनुसूचित जातियों के हितग्राहियों को पशु आहार अनुदान न दिये जाने के मामले की जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाये."

-2-

6. गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्रमांक 8743) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय 15 मि.

7. संकल्प

श्री राम निवास रावत, राज्यमंत्री स्थानीय शासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में एम्प्लायमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैविंजर्स एण्ड कन्सट्रक्शन ऑफ ड्राइ लेट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 (1993 का संख्यांक 46) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किये जाने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 39 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

2 घन्टे

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 38 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 26 फरवरी, 1997 तथा दिनांक 12 अगस्त, 1997 को सामान्य प्रशासन मंत्री से पूछे गये क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 2891) तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 949) के उत्तरों से उद्भूत विषय पर श्री बच्चन नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 6 नवम्बर, 1997 को खेल एवं युवक कल्याण मंत्री से पूछे गये क्रमशः परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक 1060) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्रमांक 643) के उत्तरों से उद्भूत विषय पर श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 नवम्बर, 1997